न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28 / 2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. बापू आत्मज स्वर्गीय श्री राजेंग, जाति भील, निवासी बामनसेल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. सुरिया आत्मज स्वर्गीय श्री राजेंग, जाति भील, निवासी बामनसेल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती चम्पा बेवा स्वर्गीय श्री राजेंग, जाति भील, निवासी बामनसेल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जीवा आत्मज वागजी, जाति भील, निवासी बामनसेल, मजरा मुडासेल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हकरी बेवा वागजी, जाति भील, निवासी बामनसेल, मजरा मुडासेल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. तहसीलदार घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक
09.01.2002 प्रकरण सं0 437 / 2002

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 21–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व तहसीलदार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कामजी का खेड़ा की खाता संख्या 40 उनके संयुक्त खातेदारी की होकर पैत्रृक कृषि भूमि है, जो पूर्व में मोग पिता बिजिया के नाम दर्ज थी, जिनके दो पुत्र राजेंग व वागजी हुए, किन्तु मोग जी के फोत होने पर खाता अकेले राजेंग के नाम दर्ज हो गया। राजेन्द्र व वागजी दोनों की मृत्यु हो चुकी है। राजेंग के वारिस विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा वागजी के वारिस प्रार्थीगण हैं। अतः राजेंग के साथ वागजी का नाम भी खाता संख्या 40 में जोड़े जाने का आदेश फरमावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09–01–2002 से वादीगण का वाद स्वीकार कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने करीब 15 दिन पूर्व अपीलान्टगण को बुवाई करने से रोका एवं धमकी दी, तब राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 09–01–2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील 60 दिवस अर्थात दिनांक 09–03–2002 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील दिनांक 12–10–2018 को अर्थात करीब 16½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं इतने वर्षो के विलम्ब का जो कारण बताया है वह न तो उचित है एवं न ही पर्याप्त, जबकि देरी से अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–01–2002 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

बापु आत्मज स्वर्गीय राजेंग भील
निवासी बामनसेल, तह0 घाटोल,
जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

जीवा आत्मज स्वर्गीय वागजी भील
निवासी बामनसेल, तह0 घाटोल,
जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....**28 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**01**.....**2002**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भगवतपुरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–01–2002 यथावत रखा जाता है। .**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:51:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: